

## बेल्जियम ने इकोसाइड को अपराध के रूप में मान्यता प्रदान की

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)


### चर्चा में क्यों?

**बेल्जियम** की संघीय संसद ने '[पारस्थितिकी संहार/इकोसाइड](#)' को **राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अपराध** के रूप में मान्यता प्रदान की है, जिसके कारण यह यूरोपीय महाद्वीप का पहला देश बन गया है।

- यह कानून नरिणय लेने वाली शक्तियों और नगिमों में बैठे व्यक्तियों को लक्षति करता है, जिसका उद्देश्य व्यापक तेल रसाव जैसे गंभीर पर्यावरणीय क्षरण को रोकना तथा दंडति करना है।

### नोट:

- **बेल्जियम एक संघीय और संवैधानिकि राजतंत्र है** जो दो मुख्य भाषाई तथा सांस्कृतिकि क्षेत्रों में वभिजति है: **फ्लेमिश (डच)-भाषी** फ्लैंडर्स एवं **फ्रेंच-भाषी** वालोनिया।
- बेल्जियम को '**यूरोप का कॉकपटि**' कहा जाता है क्योंकि इतिहास में सबसे अधिक यूरोपीय संघर्ष यही पर हुए हैं।
- इसकी राजधानी, बुरुसेल्स में स्थति है। यह यूरोपीय संघ (EU) का सदस्य भी है।





## इकोसाइड क्या है?

- इकोसाइड को "गैरकानूनी या अनयंत्रित कृत्यों के रूप में परिभाषित किया गया है जो इस जानकारी के साथ किये गए हैं कि उन कृत्यों के कारण पर्यावरण को गंभीर और व्यापक या दीर्घकालिक क्षति होने की पर्याप्त संभावना है।"
  - यह परिभाषा स्टॉप इकोसाइड फाउंडेशन द्वारा गठित इकोसाइड की कानूनी व्याख्या करने वाले स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल द्वारा प्रदान की गई थी।
- पारस्थितिकी-संहार को पर्यावरणीय अपराध का एक रूप माना जाता है और यह प्रायः जैवविविधता, पारस्थितिकी तंत्र तथा मानव कल्याण पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभावों से संबंधित है।
  - पारस्थितिकी-संहार को एक अपराध के रूप में मान्यता प्रदान करने का उद्देश्य व्यक्तियों और नगियों को उनके कार्यों के लिये जवाबदेह बनाना तथा आगे के पर्यावरणीय क्षरण को रोकना है।
- 12 देशों में पारस्थितिकी-संहार एक अपराध है, और देश ऐसे कानूनों पर विचार कर रहे हैं, जो जान-बूझकर की गई पर्यावरणीय क्षतिको अपराध की श्रेणी में रखते हैं, जो मनुष्यों, जानवरों तथा पौधों की प्रजातियों को नुकसान पहुँचाती है।

## पारस्थितिकी-संहार को अपराध घोषित करने पर भारत का रुख क्या है?

- कानून के रूप में पारस्थितिकी-संहार: कुछ भारतीय न्यायालय के नरिण्यों में 'पारस्थितिकी-संहार' शब्द का संदर्भ दिया गया है, इस अवधारणा को औपचारिक रूप से भारतीय कानून में शामिल नहीं किया गया है।
  - चंद्र CFS और टर्मिनल ऑपरेटर्स प्रा. लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (2015) मामले: न्यायालय ने कहा कि कुछ वर्ग के

लोग मूल्यवान लकड़ियों/शहतीर को काटकर पर्यावरण का संहार करना जारी रखे हुए हैं।

- टी.एन. गोदावर्मान तरिमुलपाद बनाम भारत संघ व अन्य (1997) मामला: सर्वोच्च न्यायालय ने "मानवजनति पूरवाग्रह" की ओर ध्यान आकर्षति कथि और तरक दथि कि "पर्यावरणीय न्याय केवल तभी प्राप्त कथि जा सकता है जब हम मानवकेदरति सदिधांत से हटकर पर्यावरण-केदरति सदिधांत की ओर रुख करें।"
- हालाँकि भारत ने अभी तक वशिष रूप से पारसिथतिकी-संहार को लकषति करने वाला कानून बनाने की दशिा में ठोस कदम नहीं उठाए हैं।
- मौजूदा वैधानकि फरेमवरक: भारत के पर्यावरणीय वैधानकि फरेमवरक में पर्यावरण (संरक्षण) अधनियिम 1986, वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन अधनियिम, 2022 और प्रतपिरक वनीकरण कोष अधनियिम, 2016 (CAMPA) जैसे कानून शामिल हैं।
- इन कानूनों के बावजूद, पारसिथतिकी-घातक गतविधियों को सीधे नथितरति करने में एक अंतर बना हुआ है, जसिसे पारसिथतिकी-संहार को एक वशिषिट दंड अपराध के रूप में शामिल करना आवश्यक हो गया है।

और पढ़ें: [पारसिथतिकी-संहार को अपराधीकृत करने पर वैशवकि दबाव](#)

## UPSC सवलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजथि: (2019)

1. पर्यावरण संरक्षण अधनियिम, 1986 भारत सरकार को सशकृत करता है कि
2. वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रकरथिा में लोक सहभागतिा की आवश्यकता का और इसे हासलि करने प्रकरथिा तथा रीतिका वविरण दें।
3. वह वभिन्नि स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या वसिर्जन के मानक नरिधारति करें।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)